तत्काल
तिथिबद्व

क्रमांक 46/5/1993–5पोल

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, गुडगांवा तथा हिसार मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।

दिनांक, चण्डीगढ 16 सितम्बर, 2016.

विषयः 23 सितम्बर, 2016 को 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' मनाने बारे ।

<<0>>

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 9/5/82–पोल (5पी), दिनांक 28 जुलाई, 1982 की ओर दिलाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि **इस वर्ष 23 सितम्बर का दिन 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह जिला रेवाडी मुख्यालय (रिवाडी) में मनाया जायेगा, माननीय मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की शोभा बढायेंगे।** गत वर्षों की भान्ति इस दिवस को गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाये और इस दिन प्रत्येक जिले में जनसभायें, समारोह, गोष्ठियां आदि आयोजित करके शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की जायें । शहीदों के परिवारों तथा युद्व में वीरता पुरस्कार पाने वालों को स्मृति चिन्ह् आदि भेंट कर यथावत् सम्मानित किया जाये । इस समारोह में स्वतन्त्रता सेनानियों एवं कारगिल के योद्धाओं को भी आदरपूर्वक आमन्त्रित किया जाये । आपसे अनुरोध है कि इन समारोहों के आयोजन बारे जिला स्तर पर भली–भांति प्रचार किया जाये तथा समारोहों के आयोजन का प्रैस को भी पूर्ण विवरण दिया जायें ।

भवदीय

अवर सचिव राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

अवर सचिव राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

हरियाणा राज्य के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशाः क्रमांक 46/5/1993–5पोल दिनांक चण्डीगढ 16 सितम्बर, 2016

...2......

पृ0 कमांक 46/5/1993–5पोल दिनांक चण्डीगढ 16 सितम्बर, 2016

एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :–

1. एक–एक प्रति मुख्य मंत्री /मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव I–II/विशेष कार्य अधिकारी (मुकुल कुमार)/ विशेष कार्य अधिकारी (कैप्टन भूपेन्द्र)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), राजनैतिक सचिव (दीपक मंगला) राजनैतिक सलाहकार (जगदीश चौपडा), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिवों/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के विशेष वरिष्ठ सचिवों/वरिष्ठ सचिवों/सचिवों/निजि सचिवों को मुख्य मंत्री/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव I–II/विशेष कार्य अधिकारी (मुकुल कुमार)/विशेष कार्य अधिकारी (कैप्टन भूपेन्द्र)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), राजनैतिक सचिव (दीपक मंगला) राजनैतिक सलाहकार (जगदीश चौपडा), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिवों/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के सूचनार्थ भेजी जाती है ।

2. अवर सचिव, हरियाणा सरकार, न्यायाचार एवं प्रचार विभाग ।

अवर सचिव राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 कमांक 46/5/93–5पोल दिनांक चण्डीगढ 16 सितम्बर, 2016

एक प्रति निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

अवर सचिव राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 कमांक 46/5/93–5पोल दिनांक चण्डीगढ 16 सितम्बर, 2016

एक प्रति सचिव, मुख्य मंत्री महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

अवर सचिव राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

<<0>>